संख्या –1244 / XXX(2) / 2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3– मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमायूँ (पौड़ी / नैनीताल),
उत्तरांचल।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

5– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 21 मई, 2005

विषय– राज्याधीन सेवाओं / पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक–2 / 2001–53 (1) / 2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किया गया है।

2–समय–समय पर विभिन्न स्तरों से यह जिज्ञासाएं की जाती रही हैं कि विकलांग व्यक्तियों को तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में छूट अनुमन्य है या नहीं, इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है:–

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं / पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
2. अक्षम / विकलांग व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" तथा "ख" की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा समूह "ग" तथा "घ" की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(नृप सिंह नपलच्याल),
प्रमुख सचिव।